

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	अभिषेक कुमार यादव
पिता/पति का नाम	:—	स्व. हरिश चन्द्र यादव
वर्ग	:—	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2001</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	अमन कुमार सोनवानी
पिता/पति का नाम	:—	सुदन राम सोनवानी
वर्ग	:—	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2003</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	अमन वर्मा
पिता/पति का नाम	:—	फविन्द्र वर्मा
वर्ग	:—	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2004</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	अमित कुमार
पिता/पति का नाम	:—	आत्माराम
वर्ग	:—	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2005</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	चन्द्रहास
पिता/पति का नाम	:—	घसिया
वर्ग	:—	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2015</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	दानवीर सिन्हा
पिता/पति का नाम	:—	यादराम सिन्हा
वर्ग	:—	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2019</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	मोहन लाल
पिता/पति का नाम	:—	स्व. श्री चन्द्रशेखर
वर्ग	:—	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2057</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	नरेन्द्र कुमार निर्मलकर
पिता/पति का नाम	:—	रोशन लाल निर्मलकर
वर्ग	:—	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2059</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।



# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	राकेश रोशन भारद्वाज
पिता/पति का नाम	:—	श्यामलाल भारद्वाज
वर्ग	:—	<b>SC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2077</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)

## प्रवेश-पत्र

परीक्षा का नाम	:—	कौशल परीक्षा
आवेदित पद का नाम	:—	रिसेप्शनिस्ट—सह—डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)
अभ्यर्थी का नाम	:—	कुलेश्वर प्रसाद वर्मा
पिता/पति का नाम	:—	अरुण कुमार
वर्ग	:—	<b>OBC</b>

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में संलग्नानुसार स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफस चस्पा करें।

## कार्यालयीन उपयोग हेतु

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	-	<b>2151</b>
परीक्षा केन्द्र का नाम	-	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द (छ0ग0)
परीक्षा का दिनांक	-	17/12/2023 (रविवार)
परीक्षा का समय	-	सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

दस्तावेज जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
(परीक्षा स्थल में)

सही/-  
अध्यक्ष भर्ती चयन समिति  
महासमुन्द (छ.ग.)

## -:: अभ्यर्थी के लिये अनुदेश ::-

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। परीक्षा समय के 15 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल का गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
2. कौशल परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को अपना प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा में केवल नीली बाल पेन (डाट पेन) के प्रयोग की अनुमति होगी।
4. अभ्यर्थी अपने पहचान हेतु आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र एवं अपने आईता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, केल्व्यूलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज आदि रखना वर्जित है। अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
7. कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि एवं निर्धारित समय में परीक्षा स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिस हेतु यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये स्थान पर हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, दस्तावेज जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करेंगे।
9. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार करने पर वीक्षक, अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।
10. अभ्यर्थी, कोविड गाईड लाईन का पालन करें व मास्क का प्रयोग करें व सेनेटाईजर साथ लेकर आयें।